न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 62 / 2016

RCMS Case No. 2016/00477

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
बुधाराम पुत्र सवाजी जाति जाटा भांबी निवासी देवली (आऊवा) तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. शकुर खां पुत्र उस्मान खां पठान जाति मुसलमान निवासी देवली (आऊवा) तहसील मारवाड जंक्शन 2. सरपंच ग्राम पंचायत देवली (आऊवा) तहसील मारवाड जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक:– 14/2/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, देवली (आऊवा) द्वारा मिसल संख्या 24 / 2010–2011 संकल्प संख्या 3 जे. दिनांक 22.02.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 01.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी का एक रहवासीय भूखण्ड पट्टासुदा, मालिकानासुदा, कब्जासुदा मौजा देवली (आऊवा) में आया हुआ है, जिसके चारों तरफ कांटों की बाड़ है एवं अन्दर ढालिया बना हुआ है। जिसका पट्टा संख्या 98 दिनांक 07.03.1988 को ग्राम पंचायत देवली (आऊवा) के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण उक्त पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है। तब से प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर शांतिपूर्वक बिना रोकटोकर उपयोग उपभोग व निवास करता आ रहा है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर उक्त परिसर का जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है। प्रार्थी का उक्त परिसर काफि पुराना है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त परिसर का अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर बिना आवेदन मिसल संख्या 24 / 10–11 दिनांक 22.02.2011 को प्राप्त कर लिया है। विधि अनुसार एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात उसी परिसर का दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त फर्जी पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के पडौस एवं दिशाएं एक ही है। मात्र नाप चौक में फेरबदल कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के भूखण्ड के पास ही अप्रार्थी व उसके भाई नत्थीया व वजीरा का सामलाती भूखण्ड है, जो प्रार्थी के भूखण्ड पर अतिक्रमण करना चाहते थे, तब इनके विरूद्ध प्रार्थी ने मुंसिफ

अति० जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय में सिविल दावा पेश किया, जिसमें प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड प्रार्थी का दर्शाया गया है। प्रार्थी के पट्टे को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त पट्टा आज भी प्रभाव में है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है, उक्त भूमि का जो पट्टा प्रार्थी जारी होना बताते है, वह पूर्णतः गलत एवं मनगढन्त है। यदि ग्राम पंचातय द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया होता, तो प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी में पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाती, जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य भी दायर हुए सिविल व आपराधिक न्यायालय में भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाती, जो नहीं की गई। प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थी से द्वेष भावना रखता है, इसलिए हैरान व परेशान करने की नियत से निरन्तर मुकद्दमेबाज़ी करता है। सिविल न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उसमें प्रार्थी का कब्जा न बताया जाकर अप्रार्थी का कब्जा होना बताया है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का मकान स्थित है। जिसमें अप्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। यदि प्रार्थी को जैर निगरानी आज्ञा एवं कार्यवाही से किसी प्रकार का शिकवा होता तो मिसल में जब आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, तब वह अवश्य आपत्ति प्रस्तुत करता, किन्तु प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रार्थी जिस पट्टे को अपना बताता है, उसकी कोई मिसल अथवा पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं है, केवल मात्र प्रार्थी के पास ही उक्त पट्टा है, तो ऐसे पट्टे को कैसे खारिज किया जावे, जो अपने आप में आरम्भ से ही शून्य हो, क्योंकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया। यदि पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया होता, तो पंचायत कार्यालय में निश्चय ही उक्त रेकर्ड उपलब्ध होता। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होता, तो उसे कब्जा हेतु वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नही होती। प्रार्थी द्वारा सभी अधिकारों को सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है, अब राजस्व न्यायालय में उन्हे चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि प्रार्थी का सिविल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। प्रार्थी मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से निरन्तर मुकद्दमें बाजी करता है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी अथवा अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, देवली (आऊवा) द्वारा मिसल संख्या 24/2010–2011 संकल्प संख्या 3 जे. दिनांक 22.02.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 01.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी शकूर खां पुत्र उस्मान जाति पिंजारा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत देवली (आऊवा) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी कब्जा सुदा रहवासीय मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में जो भूमि के पडौस दर्ज किए, उसके अनुसार उत्तर में खालसा गली व प्लोट, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में कोऑपरेटीव सोसायटी तथा पश्चिम में नत्थू खा का मकान होना

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अंकित किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ हल्फनामा भी प्रस्तुत किया। इस पर दिनांक 27.12.2010 को मिसल कायम करते हुए दिनांक 07.01.2011 को नक्शा तैयार करने हेतु सचिव को निर्देशित किया एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव देवली (आऊवा) द्वारा नक्शा तैयार किया गया एवं तीन पंचों द्वारा मोका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पुश्तैनी कब्जासुदा रहवासी मकान स्थिति होना जाहिर किया। इसके पश्चात दिनांक 20.01.2011 को अन्तरिम निर्णय पारित किया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.01.2011 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया, जो दो व्यक्तियों की मौजूदगी में मौके पर चस्पा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 22.02.2011 को दो व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध किए जाकर नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए।

प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि इसी भूमि का पूर्व में पट्टा प्रार्थी के नाम जारी हो चुका है, इस कारण पंचायत को दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी के संलग्न ग्राम पंचायत देवली (आऊवा) द्वारा जारी पट्टा संख्या 98 दिनांक 07.03.1988 की प्रति भी प्रस्तुत की। उक्त पट्टे के पडौस के अनुसार जैर निगरानी के पडौस से मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि दोनों ही पट्टों के पडौस समान है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, उसी भूमि पर पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 98 जारी हो चुका था, इसके कारण पंचायत को उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। तद्नुसार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, देवली (आऊवा) द्वारा मिसल संख्या 24/2010–2011 संकल्प संख्या 3 जे. दिनांक 22.02.2011 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 01.02.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भगीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/4/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भगीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली